क्रम संख्या–61
संख्या–वे0आ0–1–1802/दस–34(एम)–83

प्रेषक,

श्री जगमोहन लाल बजाज,
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक 11 अगस्त, 1983

विषय : द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979–80) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार लेखा सांख्यिकीय तथा लेखा परीक्षा संवर्ग में नये वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों पर शासकीय संकल्प संख्या वे0आ0–1590/दस–42(एम) 1980 दिनांक 29 सितम्बर 1981 में लिए गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों में लेखा, सांख्यिकीय तथा लेखा परीक्षा संवर्गों में पदों के पदनाम, न्यूनतम अर्हताएं एवं अनुभव, भर्ती की विधि तथा नये वेतनमान संलग्नक में उल्लिखित विवरण के अनुसार स्वीकृत किये गये हैं। उक्त संवर्गों में ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को जिनके लिए पूर्व में निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं अब निर्धारित अर्हताओं से भिन्न हैं, उनके पुराने वेतनमान को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान वैयक्तिक रूप से स्वीकृत किये गये हैं। साथ ही साथ संबन्धित शासनादेशों में यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि भविष्य में उक्त पदों पर ऐसे अभ्यार्थियों को नियुक्त/प्रोन्नत किया जाय जो उक्त पदों के लिए अब निर्धारित अर्हतायें/अनुभव रखते हों।

2– लेखा, साँख्यिकीय तथा लेखा परीक्षा संवर्गों में भावी नियुक्तियों हेतु उक्त प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में कतिपय विभागों द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कठिनाई बतलाई गयी हैं कि उक्त प्रतिबन्ध के फलस्वरूप ऐसे पदधारक जो दिनाँक 29 सितम्बर 1981 के पूर्व उक्त पदों पर नियुक्त किया जा चुके हैं, पद के लिए अब निर्धारित वेतनमान अथवा उच्च पदों पर पदोन्नति से वंचित हो जायेगें और सेवानिवृत्ति तक अपने वर्तमान पदों पर बने रहेगें। समस्त परिस्थितियों पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त सम्बन्धित शासनादेशों के आंशिक संशोधन में राज्यपाल महोदय ने यह ओदश प्रदान किये हैं कि–

(1) ऐसे कर्मचारियों पर जो शासकीय संकल्प के दिनाँक 29 सितम्बर 1981 तक लेखा/साँख्यिकीय/लेखा सम्परीक्षा संवर्ग के पदों पर पूर्व में निर्धारित न्यूनतम अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया के आधार पर नियमित रूप से नियुक्त किये गये हैं, संलग्नक में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा और उन्हें सम्बन्धित पद कि लिए स्वीकृत नया वेतनमान अथवा वैयक्तिक वेतनमान जो भी लाभप्रद हो अनुमन्य होगा।

(2) ऐसे कर्मचारियों को अपने संवर्ग में, प्रोन्नति के लिए भी अर्ह माना जायेगा, भले ही उनके पारस वेतन आयोग द्वारा संस्तुत न्यूनतम शैक्षिक अर्हता न हो किन्तु यदि पदोन्नति के लिए कोई सेवा अवधि अब निर्धारित की गयी हो तो उन्हें उससे छूट नहीं दी जायेगी। उदाहरण स्वरूप, लेखा संवर्ग में कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद के लिए अब एकाउन्टेन्सी के साथ इन्टर मीडिएट कार्मस की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित है और लेखा लिपिक के पद पर किसी कर्मचारी को तभी प्रोन्नत किया जा सकता है, जब उसने कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। यदि कोई

कनिष्ठ लेखा लिपिक इन्टरमीडिएट आर्ठ अथवा साइन्स से उत्तीर्ण हो और उसे दिनाँक 29 सितम्बर, 1981 के पूर्व विधिवत् नियुक्त किया गया हो, तो उस पर न्यूनतम शैखिक अर्हता का प्रतिबन्ध लागू न होगा किन्तु कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर ही उसे लेखा लिपिक के पद पर प्रोन्नत किया जा सकेगा।

(3) दिनाँक 29 सितम्बर, 1981 के बाद लेखा/सांख्यिकीय/लेखा सम्परीक्षा संवर्ग में पदों पर वही नई नियुक्तियाँ नियमित मानी जायेगी, जो नई निर्धारित अर्हताओं के अनुसार की गई हों।

3– इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अधिकांश विभागों में पहले लेखा और लिपिकीय कर्मचारियों का एक सम्मिलित संवर्ग था और उसी संवर्ग में लेखा तथा लिपिकीय पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति की जाती थी और लिपिकीय पदों से लेखा सम्बन्धीपदों पर और लेखा सम्बन्धी पदों से लिपिकीय पदों पर स्थानान्तरण हुआ कता था। वेतन आयोग की संस्तुति पर शासन के निर्णय के अनुसार अब लेखा तथा लिपिकीय पदों के अलग–अलग संवर्ग होंगे और लेखा के पद से लिपिकीय पद पर अथवा लिपिकीय पद से ल7खा के पद पर स्थानान्तरण संभव नहीं होगा। अतः यदि आपके विभाग में अभी तक लेखा में सम्बन्धित पदों का लिपिकीय पदों से पृथक संवर्ग न बना हो तो कृपया इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करें तथा सेवा नियमावली में भी तदनुसार आवश्यक संशोधन किया जाय।

4– आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रस्तर–प्रस्तर में उल्लिखित निर्णयानुसार उक्त संवर्ग के कर्मचारियों का वेतन नये वेतनामानों में पुनः निर्धारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक उपरोक्तानुसार–

भवदीय,
ह0–
जगमोहन लाल बजाज,
सचिव।

संख्या–वे0आ0–1–1802/दस–34(एम)/1983 तद्दिनांक
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रषित–
1– महालेखाकार–1, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
ह0–
रमाशंकर मेहरोत्रा,
विशेष कार्याधिकारी।

संलग्नक

लेखा, सांख्यिकीय तथा लेखा परीक्षा से सम्बन्धित संवर्गों के लिए स्वीकृत पदनाम, अर्हतायें भर्ती की विधि तथा नये वेतनमान

क्र0सं0	पदनाम	भर्ती की विधि	अर्हताएं	नया वेतनमान
(क) लेखा संवर्ग के पद				
1	कनिष्ठ लिखा लिपिक	सीधी भर्ती	इण्टरमीडिएट कामर्स (एकाउन्टेन्सी के साथ)	354–550
2	लेखा लिपिक	पदोन्नति द्वारा ऐसे कनिष्ठ लेखा लिपिकों में से जिन्हें अपने पद का 5वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।	–	430–685 विभागाध्यक्ष के कार्यालय में 515–860
3	सहायक लेखाकार	पदोन्नति द्वारा ऐसे लेखा लिपिकों में से जिन्हें लेखा कार्य का 7वर्ष का अनुभव हो अथवा सीधी भर्ती।	बी0कॉम (एकाउन्टेन्सी के साथ)	470–735
4	लेखाकार	पदोन्नति द्वारा ऐसे सहायक लेखाकार में से जिन्हें अपने पद का 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो अथवा सीधी भर्ती।	डी0टी0ई0 या एम0कॉम0(बी0कॉम0 एकाउन्टेन्सी के साथ)	570–1100
(ख) सांख्यिकी संवर्ग के पद				
1	अन्वेषक कम संगणक	सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा अर्थ एवं संख्या निदेशालय के माध्यम से।		470–735
2	संख्यिकी सहायक	पदोन्नति द्वारा अन्वेषक कम संगणक के पद से अथवा सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा अर्थ एवं संख्या निदेशालय के माध्यम से।	गणित, सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि	570–1100
(ग) लेखा परीक्षा संवर्ग के पद				
1	लेखा परीक्षक	सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा स्थानीय निधि लेख या सहकारी समितियाँ एवं पंचायते लेखा परीक्षा संगठन के माध्यम से।	आडिट/एकाउन्टेन्सी के साथ बी0कॉम0	470–735
2	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	पदोन्नति द्वारा लेखा परीक्षकों में से अथवा स्थानीय निधि लेखा या सहकारी समितियाँ एवं पंचायतों लेखा परीक्षा संगठन के माध्यम से।		570–1100